भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 347

02 **दिसंबर**, 2025 **को उत्तरार्थ**

विषय: तेलंगाना में पीएम-किसान

347. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्तूबर 2025 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत तेलंगाना में जिला-वार कुल कितने किसान पंजीकृत हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) किसी भी लंबित या बहिष्कृत लाभार्थी मामलों के ब्यौरे सहित योजना के आरंभ से तेलंगाना में इन लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से वितरित की गई कुल संचयी धनराशि का करोड़ रुपए में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएम-किसान योजना के अंतर्गत अपात्र या डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान करने हेतु तेलंगाना में कोई सत्यापन या समीक्षा अभियान चलाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना में सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) भुगतान में विलंब या तकनीकी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है, जिसमें से 14,236.18 करोड़ रुपये तेलंगाना के किसानों को वितरित किए गए हैं।

हाल ही में, 19 नवंबर, 2025 को पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी की गई, जिसके तहत तेलंगाना राज्य के 29.96 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को योजना के तहत 599.31 करोड़ रुपये का लाभ जारी किया गया। तेलंगाना में लाभान्वित लाभार्थियों को 21वीं किस्त में जारी की गई राशि का जिलेवार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ग): सरकार ने तेलंगाना समेत पूरे देश में पीएम-किसान योजना के तहत अयोग्य या डुप्लीकेट लाभार्थी की पहचान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ, पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र (डी.बी.टी.) के माध्यम से लाभार्थियों को ट्रांसफर किया जाता है। कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पी.एफ.एम.एस. (PFMS), यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केवल पात्र किसानों तक लाभ पहुँचाने के लिए लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है।

पीएम-किसान डेटाबेस को पीडीएस राशन कार्ड डेटाबेस, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) रिकॉर्ड (मृत्यु की स्थिति में निष्क्रिय हुए आधार सहित), पी.एफ.एम.एस. (PFMS) और आयकर डेटा के साथ भी क्रॉस-वेरिफाई किया जाता है ताकि दोहराव (डुप्लीकेशन) न हो। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में भी लाभ अंतरण को रोका गया, जहां एक ही परिवार के एक से ज़्यादा सदस्य नामांकित थे और जहां भूमि के मूल स्वामी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के माध्यम से भूमि हस्तांतरण होने पर पूर्व तथा वर्तमान दोनों भू-स्वामियों को पंजीकृत पाया गया।

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार आमतौर पर तेलंगाना सहित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सैचुरेशन अभियान चलाती है। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन ड्राइव चलाया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख और पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों के निपटान के लिए सितंबर, 2024 में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 30 लाख से अधिक नए किसान जुड़े।

अनुबंध

पीएम-किसान की 21वीं किस्त से लाभान्वित होने वाले तेलंगाना के लाभार्थियों का ज़िला-वार विवरण

#	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	ट्रांसफर की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	आदिलाबाद	81,421	16.28
2	भद्राद्री कोठागुडेम	86,114	17.22
3	हनुमाकोंडा	70,220	14.04
4	जगितियल	1,07,329	21.47
5	जंगोआन	79,834	15.97
6	जयशंकर भूपालपल्ली	45,275	9.06
7	जोगुलम्बा गडवाल	74,025	14.81
8	कामारेड्डी	1,26,698	25.34
9	करीमनगर	88,053	17.61
10	खम्मम	1,55,856	31.17
11	कुमुराम भीम आसिफाबाद	59,580	11.92
12	महबूबाबाद	93,009	18.60
13	महबूबनगर	93,590	18.72
14	मंचेरियल	63,383	12.68
15	मेडक	1,09,447	21.89
16	मेडचल मलकाजगिरी	10,378	2.08
17	मुलुगु	27,968	5.59
18	नगरकुरनूल	1,38,180	27.64
19	नलगोंडा	2,03,707	40.74
20	नारायणपेट	72,668	14.53
21	निर्मल	81,590	16.32
22	निज़ामाबाद	1,21,621	24.32
23	पेड्डापल्ली	70,332	14.07

24	राजन्ना सिरसिला	62,266	12.45
25	रंगा रेड्डी	1,30,957	26.19
26	संगारेड्डी	1,33,312	26.66
27	सिद्दीपेट	1,23,582	24.72
28	सूर्यापेट	1,26,201	25.24
29	विकाराबाद	1,09,962	21.99
30	वानापर्थी	71,956	14.39
31	वारंगल	78,723	15.74
32	यादाद्री भुवनागिरी	99,295	19.86
	कुल योग	29,96,532	599.31

*****